उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या-65/2018/1119/छप्पन-2018-41/2011

लखनऊ : दिनांक: 26 जून, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2018/291/छप्पन-2018-41/11 दिनांक 13 फरवरी, 2018 द्वारा कै0 पंकज सिंह की नियुक्ति नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर की गई थी। कै0 पंकज सिंह, जिनकी संविदा अवधि दिनांक 16 फरवरी, 2018 से 15 फरवरी, 2023 तक है, द्वारा पत्र दिनांक 07 मई, 2018 के माध्यम से अनुबन्ध-पत्र की शर्त के अनुसार 03 माह का नोटिस देते हुए दिनांक 06 अगस्त, 2018 से सेवामुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- कै0 पंकज सिंह द्वारा नोटिस दिनांक 07 मई, 2018 के माध्यम से स्वयं को सेवामुक्त किए जाने के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल उनके त्याग-पत्र पर इस शर्त के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं कि दिनांक 06 अगस्त, 2018 के अपरान्ह से कार्यमुक्त किए जाने के पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग एवं कै0 पंकज सिंह के मध्य निष्पादित संविदा विषयक अनुबन्ध-पत्र तथा इनके द्वारा ट्रेनिंग हेतु निष्पादित बाण्ड की शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुरूप उन पर यदि कोई देनदारी है तो उसे नियमानुसार जमा करा लिया जाए। साथ ही अपेक्षित अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के बाद ही उन्हें सेवामुक्त किया जाए।

सूर्य पाल गंगवार

विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0- 65/2018/1119(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार, ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी 1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. कै0 पंकज सिंह को उनके पत्र दिनांक 07.05.2018 के सन्दर्भ में।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/कार्मिक-1
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in